राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक. एफ. 1(2)(2)आ.प्र.एवं सआ/ओ.वृ./08/1784-1816 जयपुर,दिनांक: 15/02/08

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः– शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

माह जनवरी व फरवरी 2008 में राज्य में हुई शीतलहर एवं पाले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है:–

01. जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनमें सीमान्त कृषकों को अधिकतम एक हेक्टेयर तक तथा लघु, एवं वृहत् कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक, कृषि आदान अनुदान निम्न प्रकार देय होगाः–

असिंचित फसल पर – 3000/– रुपये प्रति हेक्टेयर
सिंचित फसल पर – डीजल इंजन से सिंचित– 6000/– रुपये प्रति हेक्टेयर
बिजली के कुओं व नहर से सिंचित–4000/–रुपये प्रति हेक्टेयर

02. बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

03. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान होगा उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू–राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।

04. प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा ।

05. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रुप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रुप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमान्त कृषक के अनुसार आदान–अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

06. राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है पर जिन्होनें भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

सभी जिला कलैक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि रबी फसल में पाला एवं शीतलहर से हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कराकर पैकेज के अनुसार कृषकों को उपरोक्तानुसार सहायता वितरित की जाये। तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा की रिपोर्ट सूखा प्रबन्धन संहिता के प्रपत्र 7 (डी) के अनुसार तैयार करवाकर एवं फसल खराबे की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को पृथक–पृथक उपलब्ध कराई जाये, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा सके। अगर जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं हुआ हो तो भी यह सूचना अवश्य भिजवाये कि जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत व इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

प्रमुख शासन सचिव
आ0प्र0 एवं सहायता